"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2006--कार्तिक 6, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/99/2006/वाक/पांच (90).--चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक कर के भुगतान से छूट राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (पन्द्रह) में वर्णित वायर्स.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घट कर 2 प्रतिशत हो जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/99/2006/वाक/पांच (90).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/99/2006/वाक/पांच (90), दिनांक 28-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/99/2006/CT/V (90).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), theState Government hereby, on the fulfilament of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) from the date of publication in official gazette :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Wires as specified in category (xv) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/100/2006/वाक/पांच (91).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अनुसूची के कालम (2) में निर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करता है :—

अनुसूची

वस्तु की श्रेणी	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट दी गई है
(1)	(2)
कोयला	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय पंजीयत व्यवसाई को संलग्न घोषणा-पत्र में इस आशय हेतु किया जाय कि क्रय किया जाने वाला माल फेरो एलायज निर्माण की प्रक्रिया में उपभोग या उपयोग हेतु है.

प्ररूप

घोषणा

(अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यवसायी का नाम)... (स्थान) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक ....का गृहीता, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि. मैंने नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल का क्रय .... (विक्रेता का नाम) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक.. धारी से किया गया है तथा उक्त माल का फेरो एलायज निर्माण की प्रक्रिया में उपभोग या उपयोग किया जाएगा.

2. मै यह भी घोषणा करता हूं कि,—

*(i) उपभोग या उपयोग हेतु क्रय किया गया माल उक्त अधिनियम के अधीन मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है. एवं

*(ii) मेरे उपरोक्त वर्णित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा पात्रता प्रमाण-पत्र माल के क्रय दिनांक को प्रभावशील थे.

क्रय किए गए माल का विवरण

*क्रय बिल/इनवाइस/केशमेमों/ चालान का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य	
क्रमांक	दिनांक			रु.	पं.
(1)		(2)	(3)	(4)	

कुल मूल्य (अंकों में) रु. . . . . (शब्दों में) रुपये . . . . मात्र.

स्थान :—

दिनांक :—

. . . .

व्यवसायी के हस्ताक्षर

पदनाम

* जो लागू न हो उसे काट दें.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/100/2006/वाक/पांच (91).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/100/2006/वाक/पांच (91), दिनांक 28-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/100/2006/CT/V (91).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby, from the date of publication of this notification in official gazette, exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the schedule below, from payment of entry tax under the said Adhiniyam subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule :—

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Coal	When the goods specified in column (1) are sold to a registered dealer against a declaration in the appended form to the effect that the goods being purchased are for consumption or use in the process of manufacture of Ferro Alloys.

FORM

Declaration

(Under Notification No. .... dated ....)

I .... (Name of the dealer) of .... (Place) holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby declare that I have purchased goods particulars of which have been given below from .... (Name of the seller) holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam and the said goods shall be consumed or used in the process of manufacture of Ferro Alloys.

2. I further declare that,—

*(i) The goods purchased for consumption or use are specified in my registration certificate under the said Adhiniyam; and

*(ii) My aforesaid registration certificate and eligibility certificate were in force on the date of purchase of goods.

Particulars of goods purchased

* Particulars of puchase bill/ invoice/cash memo/challan		Description of goods purchased	Quantity	Value	
No.	Date			Rs.	p.
(1)		(2)	(3)	(4)	

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place :

Date :

Signature of the dealer
Status

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.